

उत्तर प्रदेश शासन  
वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (अधि0)  
संख्या- 1/2018-एस0ई0-4-256/दस-2018-ई0एम0-01/2015  
लखनऊ : दिनांक : 18 जनवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या-11/2016-एस0ई0-4-3290/दस-2016-ई0एम0-01/2015, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के अनुक्रम में प्रदेश सरकार के बजट, वित्त आयोग एवं वित्तीय प्रबन्धन में सुधार से संबंधित कार्य हेतु लेखा नियंत्रक एवं पदेन सचिव, वित्त विभाग के सृजित अस्थाई निःसंवर्गीय पद की अवधि दिनांक 01 फरवरी, 2018 से 28 फरवरी, 2018 तक बढ़ाये जाने एवं इस पद पर श्री मुकेश मित्तल, लेखा नियंत्रक एवं पदेन सचिव, वित्त को संविदा के आधार पर दिनांक 01 फरवरी, 2018 से 28 फरवरी, 2018 तक की अवधि के लिए पुनर्योजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पद पर पुनर्योजन के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या-एस0ई0-4-26/दस-2015-ई0एम0-01/2015, दिनांक 29 जनवरी, 2015 में निर्धारित सेवा शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू होंगे।

3- उपरोक्त के संबंध में होने वाला व्यय संगत वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के लेखा अनुदान संख्या-78 के अधीन लेखाशीर्षक-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संजीव मित्तल  
प्रमुख सचिव।

संख्या-1/2018-एस0ई0-4-256(1)/दस-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा) द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- (2) प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, 30प्र0 शासन।
- (3) प्रमुख सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग।
- (4) प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग।
- (5) निदेशक, पेंशन, 30प्र0, लखनऊ।
- (6) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- (7) इरला चेक अनुभाग/वेतन पर्ची प्रकोष्ठ, 30प्र0, सचिवालय।
- (8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/10
- (9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/3
- (10) संबंधित अधिकारी।
- (11) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

( अरविन्द मोहन चित्रांशी )  
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।